बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइटः www.bsbccl.bih.nic.in
BSBCCL
BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0–27 / 2015–परामर्शी सेवा दिनांक : / 02 / 2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

विषयः माह जनवरी, 2017 तक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से आवंटित कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

पत्रांक–निगम का पत्रांक–99(अनु0) दिनांक–16.01.2017.

महाशय,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। ₹54.80 लाख प्रति अद्द की दर से 40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के निर्माण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि ₹21.92 करोड़ है।

माह दिसम्बर, 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में प्रेषित है। निगम स्तर पर अद्यतन समीक्षा के आधार पर माह जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत् है।

2. भौतिक प्रगति

40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों में से 28 अद्द योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, तथा 08 स्थलों पर योजना प्रगति पर है तथा शेष 04 योजनाएँ यथा–रानीपतरा (पूर्णिया), जनारो (नालंदा), आलमपुर (रोहतास) एवं मंझौली (पटना) में विभिन्न समस्याएँ हैं जिस कारण से वहाँ अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। कार्यान्वित 08 कार्यों को मार्च, 2017 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

2.2 वित्तीय प्रगति

40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹21.92 करोड़ के विरुद्ध अब तक ₹20.72 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आवंटित राशि में से अब तक कुल ₹16.05 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सार सहित संलग्न है।

2.3 भूमि संबंधी मामले

रानीपतरा (पूर्णिया), जनारो (नालंदा), आलमपुर (रोहतास) एवं मंझौली (पटना) या तो समस्याग्रस्त हैं, या उन कार्य स्थलों के लिये एन0ओ0सी0 अब तक अप्राप्त है। पूर्व में निगम के पत्रांक–653, दिनांकः 28.03.2016 के द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। इसका या तो हल निकाला जाय अन्यथा बन्द करने की कार्रवाई की जाय।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹21.92 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹20.72 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः तत्काल निधि की आवश्यकता नहीं है।

निबंधित कार्यालयः बी0एस0बी0सी0सी0एल, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना–800023, दूरभाषः +91–612–2284861, फैक्सः +91–612–2280324, ई–मेलःbsbccl.patna@gmail.com
Registered Office: BSBCCL, Hospital Road, Shastri Nagar, Patna – 800023, Telephone No.: +91-612-2284861, Fax: +91-612-2280324, Email: bsbccl.patna@gmail.com

2.5 <u>निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण</u>

निगम के पत्रांक–3023 दिनांक–29.11.2016 द्वारा दिनांक–25.11.2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹14,22,24,852.00 मात्र का भेजा जा चुका है।

2.6 <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

2.7 <u>ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे</u>

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट www.bsbccl.bih.nic.in पर मौजुद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के पत्रांक–292, दिनांक–10.02.2016 के द्वारा अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है।

3. <u>अनुरोध</u>

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये। जिन कार्यस्थलों के लिये भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन पर सुविचारित निर्णय लेकर उनकी प्रशासनिक स्वीकृति रद्द की जाये। अब तक पूर्ण 28 योजनाओं में से 18 अद्द योजनाओं का हस्तानान्तरण लिया गया है। शेष पूर्ण 10 अद्द योजनाओं का हस्तानान्तरण शीघ्र प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित को निदेशित किया जाये।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.2.17

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक:– 445 दिनांक–20.02.2017

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

क्रम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 40 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की योजना	**₹21.92 करोड़** पत्रांक–4493, दिनांक–22.12.14 (भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के अनुसार ₹54.80 लाख प्रति अद्द) (इसके अतिरिक्त 10% सेंटेज का भुगतान कुल स्वीकृत राशि ₹23.3728 करोड़ से किया जाना है।)	**₹20.72 करोड** (वर्ष 2015–16 में)	**₹16.44 करोड़**	* कार्य पूर्ण एवं हस्तांरित :– **18** * कार्य पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया में :– **10** * विभिन्न स्तरों पर कार्य प्रगति में:– **08** * स्थल समस्याग्रस्त / एन0ओ0सी0 अप्राप्त :– **04** **रानीपतरा** (पूर्णिया), **जनारो** (नालंदा), **मंझौली** (पटना) **एवं आलमपुर** (रोहतास)। **कुल : 40** <u>प्रशासी विभाग से पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण लिये जाने का आग्रह नोडल पदाधिकारी की दिनांक–20.01.2017 की बैठक के दौरान किया गया।</u>	मार्च 2017 तक	* पत्रांक–1240, दिनांक–20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव,पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया। * निगम के पत्रांक–97, दिनांकः 16.01.2017 द्वारा दिसंबर 2016 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * दिनांक–19.08.2016 की नोडल पदाधिकारी की बैठक के दौरान बताया गया कि पूर्ण योजनाओं यथा–झखड़ा, साहरघाट, बेलाटोल रघुनाथपुर, बढौना, छबैल एवं महकार के लिये प्रशासी विभाग द्वारा इस महीने में संलेख कैबिनेट भेजा जाना है। योजना की जानकारी नहीं होने के कारण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा हस्तांतरण नहीं लिया जा रहा है।